

## हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 17 अप्रैल 2026, समय 13:05 (5 मिनट))

एक सौ छठा संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज से लागू हो गया है। 2023 में संसद ने इस अधिनियम को पारित किया था जो संघीय ढांचे के सभी स्तरों पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इस महत्वपूर्ण कानून में लोकसभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा सहित सभी राज्य विधानसभाओं में सभी सीटों में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए बारी-बारी से आरक्षित करने का प्रावधान है।

---

---

लोकसभा में आज संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पर आज लोकसभामें चर्चा जारी है। आज चर्चा की शुरुआत करते हुए डीएमके सांसद के. कनिमोड़ी ने विधेयकों का विरोध करते हुए कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि केंद्र ने 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को कल रात अधिसूचित कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब संसद में महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही है, ऐसे में इसकी क्या आवश्यकता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि देश महिला आरक्षण के पक्ष में लगभग राजनीतिक सहमति की दहलीज पर खड़ा है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि महिला आरक्षण का कार्यान्वयन संसद के विस्तार, 2011 की जनगणना के आंकड़ों और परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। लोकसभा में आज तीनों विधेयकों पर बाद दोपहर मतदान होना है।

---

---

नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भिवानी के तोशाम में सशक्त नारी-सशक्त भारत अभियान के तहत चेतना रैली निकाली गई। जिसका नेतृत्व हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने किया। इस मौके पर उन्होंने खेल, शिक्षा, प्रशासन व विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया। इस मौके पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि आज भारत के लिए ऐतिहासिक समय है, जब मातृ शक्ति वंदन अधिनियम के तहत देश की महिलाओं को लोकसभा व विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। इसी अधिनियम के आने से अब देश की विभिन्न नीतियों को बनाने में महिलाओं की बड़ी भागीदारी होगी तथा देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा

---

---

हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेनु भाटिया ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण बेहद जरूरी है। इससे देश और प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और मजबूत होगी।

---

---

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा के परिणामों में पंचकूला ज़ोन ने देशभर में 14वां स्थान हासिल किया है बोर्ड के पंचकूला ज़ोन के क्षेत्रीय

अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पंचकूला ज़ोन का परिणाम 92 .24 प्रतिशत दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि दोबारा से परीक्षा देने वाले छात्र 16 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच आवेदन कर सकते हैं।

---

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेश्वर शर्मा ने पंचकूला नगर निगम चुनाव में महापौर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जिला प्रधान अजय मित्तल को अपना आवेदन पत्र सौंपा। श्री शर्मा पहले पंचकूला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं और लंबे समय से पार्टी संगठन के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने संगठनात्मक स्तर पर विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। श्री योगेश्वर शर्मा ने कहा कि वे पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी नेतृत्व के हर निर्णय का सम्मान करते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि पार्टी उन्हें महापौर पद के लिए उम्मीदवार घोषित करती है, तो वे पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ चुनाव लड़ेंगे।

---

कुरुक्षेत्र स्थित नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी- NIT के महिला छात्रावास में कल एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। छात्रा का शव पंखे से लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। मृतक छात्रा बीटेक के दूसरे साल में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एंड डेटा साइंस की छात्रा थी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि फरवरी से अभी तक संस्थान में आत्महत्या का यह चौथा मामला है। NIT छात्रों ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है।